

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 28-06-2019

स्थान : सभाकक्ष
उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन अष्टम तल, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर,
लखनऊ।

समय : अपराह्न 1.30 बजे।

उपस्थित :

- 1- प्र० जीत सिंह सन्धू, कुलपति - अध्यक्ष
- 2- श्री नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अयोध्या मण्डल अयोध्या नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ०प्र०शासन। - सदस्य
- 3- श्री राधेश्याम गुप्ता, अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ०प्र०शासन। - सदस्य
- 4- श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा, उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उ०प्र०शासन। - सदस्य
- 5- श्री छेदी सिंह, मान०सदस्य प्रबन्ध परिषद - सदस्य
- 6- श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक - सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने माननीय सदस्यों का स्वागत किया, तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियाँ प्रदान की गयी :-

प्रस्ताव सं० 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 07-02-2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं० 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 07-02-2019 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं० 3 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 2018-19 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2019-20 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018-19 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2019-20 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा परिशिष्ट-क के अनुसार आय व्ययक के अनुमोदनार्थ सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 4 सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं० 359/67-कृषिअ-19-1500(16)/09 दिनांक 09 मार्च 2019 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों/समकक्षीय संवर्गों को वेतनमान लागू किये जाने हेतु मान० प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से सातवां वेतन आयोग के संबंध में निर्गत शासनादेश सं० 359/67-कृषिअ-19-1500(16)/09 दिनांक 09 मार्च 2019 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्गों को वेतनमान का पुनरीक्षण शासनादेशानुसार किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 5 मा० प्रबन्ध परिषद की 184वीं बैठक दिनांक 07-02-2019 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे "प्लानिंग एण्ड इवैलुएशन एशोसिएट " (कुलपति कार्यालय) वेतनमान पी०बी० -2 लेबल-10 रू० 56100/- प्रतिमाह (रू० 15600-39100 ग्रेड पे रू० 5400/- अपुनरीक्षित) के पद को "विधि अधिकारी" पदनाम से परिवर्तित किये जाने पर मान० प्रबन्ध परिषद द्वारा विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे "प्लानिंग एण्ड इवैलुएशन एशोसिएट " (कुलपति कार्यालय) वेतनमान पी०बी० -2 लेबल-10 रू० 56100/- प्रतिमाह (रू० 15600-39100 ग्रेड पे रू० 5400/- अपुनरीक्षित) के पद को "विधि अधिकारी" पदनाम से परिवर्तित किये जाने की संस्तुति इस आशय से प्रदान की गयी कि शासन से पदनाम परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

प्रस्ताव सं० 6 राज्य सरकार के वित्त पोषण से जनपद देवरिया में कृषि ज्ञान केन्द्र के कार्यालय हेतु मकान किराया पर लिये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जनपद देवरिया में कृषि ज्ञान केन्द्र के कार्यालय हेतु भवन का किराया रू० 3500/-प्रतिमाह एवं बिजली रू० 500/-प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने की किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । इसके साथ यह भी संस्तुति की गयी कि कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया का कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर किसानों के आवागमन में सुगमता हो ।

प्रस्ताव सं० 7 जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के वित्त पोषण से सहभागी परियोजना को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटवा, आजमगढ़ द्वारा क्रियान्वित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के वित्त पोषण से सहभागी परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 8 डा० सुनील कुमार, सह प्राध्यापक, सांख्यिकी विभाग को सेवानिवृत्त के उपरान्त नियमानुसार सेवानिवृत्त गेस्ट फैंकल्टी को दिये जाने वाले भुगतान की दर से नियोजित करने का प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से डा० सुनील कुमार सह प्राध्यापक, सांख्यिकी विभाग को, सेवानिवृत्त के उपरान्त नियमानुसार गेस्ट फैंकल्टी को दिये जाने वाले भुगतान की दर से नियोजित करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।


प्रस्ताव सं० 9 वित्त नियंत्रक कार्यालय में रिक्त सहायक वित्त नियंत्रक, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी एवं सम्परीक्षा अधिकारी के पदों को भरे जाने अथवा अग्रिम व्यवस्था तक श्री रमेश चन्द्र कटियार, सहायक लेखाधिकारी की पुर्ननियुक्ति किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।


वित्त उपसमिति द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुर्ननियुक्ति तथा सेवाविस्तार को शासन द्वारा प्रतिबन्धित किये जाने के आलोक में सहायक लेखाधिकारी पद को पदोन्नति के माध्यम से भरने अथवा विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबन्धन के कार्य को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता (Outsourcing) के माध्यम से या उचित मानदेय पर विश्वविद्यालय का कार्य कराने एवं भुगतान करने की संस्तुति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी । उक्त भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किये जाने की भी संस्तुति की गयी ।

प्रस्ताव सं010 कुलपति के निजी सचिव श्री मो0 नईम के दिनांक 28-2-2019 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त कुलपति के सचिव के प्रस्ताव दिनांक 21-6-2019 के अनुक्रम में प्रशासनिक आदेश सं0 एनडीयूएटी-7/स्था-6/मानदेय /2019/79 दिनांक 09-04-2019 द्वारा कुलपति कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन हेतु श्री नईम को रू0 35000/- प्रतिमाह पर मानदेय कर्मी के रूप में छः माह के लिए कार्य पर लगाया गया है ।श्री नईम को कार्य पर रखे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं आगे भी छः माह हेतु इसी निर्धारित मानदेय एवं शर्तों के अधीन कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय ।


वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति के निजी सचिव श्री मो0 नईम को रू0 35000/- प्रतिमाह पर प्रशासनिक आदेश सं0 एनडीयूएटी-7/स्था-6/मानदेय /2019/79 दिनांक 09-04-2019 दिनांक 9-4-2019 के क्रम में कार्य पर लगाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं आगे भी छः माह इसी निर्धारित मानदेय एवं शर्तों के अधीन कार्य पर लगाये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति


21/2/19
(जीत सिंह सम्भू)
कुलपति/ अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।
पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/वि0उ0स0/लेखा/2019/480 दिनांक 02-07-2019
प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/ सचिव
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या
आय-व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष वर्ष 2018-19 एवं अनुमान वर्ष 2019-20 (धनराशि लाख में)

क्रमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2018-19	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2019-20
1	2	3	4
1	राज्य सरकार राजस्व		
क	कृषि विश्वविद्यालय	5328.36	8046.02
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	995.40	1964.18
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	184.30	339.26
घ	कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ़	58.50	414.03
छ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रों हेतु)	1.99	2.00
ज	आडिट फीस	50.00	-
झ	तकनीकी प्रशिक्षण	-	10.00
ट	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	-	413.60
ठ	विभिन्न महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं, छात्रावासों, प्रक्षेत्रों, अनुपयुक्त भूमि का अनुरक्षण/ सुदृढीकरण, छात्रों द्वारा शोध कार्य एवं वर्षा जल संचयन हेतु	60.51	300.00
	योग (राज्य सरकार राजस्व)	6679.06	11489.09
2	राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत		
	राजस्व		
क	भारतीय कृषि अनु० परि० के सहयोग से संचालित परियोजनाओं हेतु 75:25 प्रतिशत परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	277.09	427.11
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	1015.10	792.42
ग	रावे पर व्यय (25 प्रतिशत)	-	2.00
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी०वी०एस०सी०एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	-	1.50

च	कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	31.24	100.00
	पूँजीगत / राजस्व		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1773.66	1393.74
	योग (राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत)	3097.09	2716.77
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	2445.03	3071.04
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	156.08	200.00
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	—	500.00
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	—	20.00
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	—	100.00
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु (75 प्रतिशत धनराशि)	831.27	1281.33
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	7.18	1016.19
	योग	3439.56	6188.56
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाएँ	103.34	179.12
	योग	103.34	179.12
5	चकीय निधि	412.54	1131.70
	योग	412.54	1131.70
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक)	13731.59	21705.24